न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–120/2009 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. प्रतापसिंह पुत्र करणसिंह जाति जाट निवासी रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... वादी अपीलांट

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र गोरधन सिंह जाति जाट
2. हुकमसिंह पुत्र गोरधन सिंह जाति जाट
3. करणसिंह पुत्र गोरधनसिंह जाति जाट निवासीयान ग्राम रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री रामेश्वर दयाल, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जगदीश चन्द सतीजा, अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–26.12.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट बाबत इस्तकरारहक व हुक्मईम्तनाईदवामी विरूद्ध प्रतिवादी पेश किया। प्रतिवादी रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 7 द्वारा प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन किया गया कि वादी ने मौजूदा दावा मिन प्रतिवादीगण के विरूद्ध गलत वाकेयात के आधार पर दायर किया है। इस संबंध में वादी ने एक अन्य दावा संख्या 1/122 बअनुवान प्रतापसिंह बनाम करणसिंह बगैराह का इन्ही तथ्यों के आधार पर न्यायालय सहायक जिलाधीश महोदय अलवर के यहां दिनांक 26.06.1985 को दायर किया था। इसके पश्चात वादी ने एक तहरीर दिनांक 25.12.1985 को प्रस्तुत कर वाद को अदम पैरवी में खारिज करा लिया जिसे आज तक रिस्टोर नही करवाया गया है। जिससे दावा कानूनन वर्जित है तथा काबिल पेश रफत नही है। प्रतिवादी रेस्पो0 द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 का भी पेश किया कि वादी द्वारा मौजूदा वाद खिलाफ कानून व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

रिकार्ड पेश किया गया है। वादी द्वारा जिन तथ्यों पर मौजूदा वाद दायर किया है उसी के अनुसार पूर्व में भी वादी ने वाद दायर किया था जिसमें वादी ने राजीनामा कर लिया तत्पश्चात उसे खारिज कराया गया जिसे रेस्टोर करने की कोई कार्यवाही वादी ने नही की है जिसका जबाव दावा में भी प्रतिवादी द्वारा आपत्ति की हुई है। जिसका मुकदमा नंबर 1/122 है। वादी का मौजूदा वाद कानूनन वर्जित है इसलिये वाद वादी खारिज किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा दिनांक 20.11.2009 को आदेश पारित कर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 7 एवं आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद कानून वर्जित होने तथा पेश रफत नही होने के कारण खारिज फरमा दिया। जिस आदेश दिनांक 20.11.2009 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ अदालत के समक्ष वादी अपीलांट द्वारा दावा प्रस्तुत होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जबावदावा पेश नही किया बल्कि एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 जाब्ता दीवानी एवं आदेश 07 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत किये। प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में बताया कि वादी अपीलांट ने पूर्व में दावा दायर किया था जो दावा 26.06.85 को दायर किया गया। जो दावा अदम पैरवी में खारिज करा लिया गया। उक्त स्थिति में मौजूदा दावा चलने योग्य नही है तथा खारिज किये जाने योग्य है। वादी अपीलांट ने उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया जिससे उक्त तथ्यों से इंकार करते हुये बताया कि दावा मैरिट पर तय नही किया गया था। जिस स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर मौजूदा दावा खारिज किये जाने योग्य नही है। तहत अदालत ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के अंतर्गत खारिज कर कानूनी गलती की है। पूर्व में दायर किया गया दावा अदम पैरवी में खारिज किया गा था । कानूनन अदम पैरवी में खारिज किये गये दावे के आधार पर प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही प्राप्त होते हैं। ना ही दावे की अदम पैरवी में खारिज होने के वादी के अधिकार समाप्त होते हैं। वादी को दूसरा दावा दायर करने का पूरा अधिकार है। तहत अदालत के समक्ष प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र की ताईद में पूर्व में चले दावे को खारिज होने की कोई तारीख प्रस्तुतनही की ना ही आदेश की प्रति प्रस्तुत की।जिस स्थिति में भी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानून सम्मत नही था। कानूनन दावे के बाद प्रतिवादीगण को जबाव दावा पेश करना था तथा उसके बाद इस संबंध में तनकी कायम की जाकर ही निर्णय पारित किया जा सकता था। किन्तु अदालत तहत ने बिना तनकीयात कायम करे एवं बिना जबाव दावा प्रस्तुत किये दावा खारिज करने में गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2009 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब में अभिभाषक असल रेस्पो0 का बहस में कथन है कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ अदालत में दावा मिन प्रतिवादीगण के विरूद्ध गलत वाकेयात के आधार पर दायर

GL
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

किया था। इस संबंध में वादी ने एक अन्य दावा संख्या 1/122 बअनुवान प्रतापसिंह बनाम करणसिंह बगैराह का इन्ही तथ्यों के आधार पर न्यायालय सहायक जिलाधीश महोदय अलवर के यहां दिनांक 26.06.1985 को दायर किया था। इसके पश्चात वादी ने एक तहरीर दिनांक 25.12.1985 को प्रस्तुत कर वाद को अदम पैरवी में खारिज करा लिया जिसे आज तक रिस्टोर नही करवाया गया है। जिससे दावा कानूनन वर्जित है तथा काबिल पेश रफत नही है। वादी अपीलांट द्वारा मौजूदा वाद खिलाफ कानून व रिकार्ड पेश किया गया है। वादी अपीलांट द्वारा जिन तथ्यों पर वाद दायर किया है उसी के अनुसार पूर्व में भी वादी ने वाद दायर किया था जिसमें वादी ने राजीनामा कर लिया तत्पश्चात उसे खारिज कराया गया जिसे रेस्टोर करने की कोई कार्यवाही वादी ने नही की है जिसका जबाव दावा में भी प्रतिवादी द्वारा आपत्ति की हुई है। जिसका मुकदमा नंबर 1/122 है। वादी का मौजूदा वाद कानूनन वर्जित है इसलिये वाद वादी खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2009 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

पूर्व वाद संख्या 1/122 जो दिनांक 25.12.1985 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हुआ है। वादी अपीलांट को उसे रेस्टोर करवाना चाहिये था। यह सही है कि पूर्व वाद का निर्णय मैरिट पर नही हुआ है फिर भी उसी वाद को रेस्टोर करवाना आवश्यक था, अन्य वाद नही लाना चाहिये था। पूर्व वाद को करीब 35 वर्ष खारिज हुये हो गये हैं जो कानूनन अब रेस्टोर नही किया जाता है इसी कारण वादी अपीलांट द्वारा मौजूदा वाद अधीनस्थ अदालत में पेश किया गया प्रतीत होता है। जो कानूनन वर्जित है।

इन्ही आधार पर अधीनस्थ अदालत द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 एवं आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किये गये हैं। अधीनस्थ अदालत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर साम्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण ढंग से अपीलांट का वाद खारिज कर निर्णय पारित किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाई जाती है। इसलिए अपील अपीलांट उक्त विवेचन के आधार पर काबिल खारिज के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2009 निरस्त की जाती है। तद्नुसार पर्चा–डिक्री जारी की जावे।खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26.12.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर